

**न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-276 / 2012

संस्थित दिनांक-30.03.2012

फाइलिंग क्र.234503000762012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी पाथरी,

आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन****// विरुद्ध //**

बिसनीबाई पति मोहतु टेकाम, उम्र-37 वर्ष, जाति बैगा,

निवासी-ग्राम तबलुटोला(नव्ही), पुलिस चौकी पाथरी,

थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियुक्त****// निर्णय //****(आज दिनांक-20/09/2017 को घोषित)**

1- अभियुक्त बिसनीबाई पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 336, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-07.03.2012 को रात्रि 11:00 बजे, ग्राम तबलुटोला(नव्ही) फरियादिया का आंगन चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादिया दशकिनबाई को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादिया को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर, उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त हुई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 336 राजीनामा योग्य नहीं होने से इन धाराओं में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-13.03.2012 को फरियादिया दशकिनबाई ने पुलिस चौकी पाथरी, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-07.03.2012 को रात्रि 11:00 बजे, मोहतु सिंह एवं बिसनीबाई फरियादिया के घर के सामने आए थे और साले, मादरचोद

बाहर निकल होली के त्यौहार में बहुत मस्ती कर रहा है, चिल्लाए तो फरियादिया उसके पति के साथ आंगन में आई थी और गंदी-गंदी गालियां क्यों देता है कहने पर, वह कहने लगे कि मस्ती आ गई है, माँ-बहन को चोदू की गालियां देकर कहने लगे कि आज दोनों को जान से खत्म कर देंगे। मोहतु, फरियादिया के पति को लकड़ी से मारने लगा था तथा बिसनीबाई ने फरियादिया को पत्थर फेंककर मारा था, जो फरियादिया के बाएं आंख में लगा था तथा हाथ-मुक्कों से भी मारपीट की थी। मौके पर बीच-बचाव करने मानसिंह बैगा, सुक्कल बैगा, रामबतीबाई, एतबारीबाई आए तो अभियुक्तगण कहने लगे कि आज बच गए नहीं तो जान से खत्म कर देते कहते हुए मौके से भाग गए थे। फरियादिया एवं आहत का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस चौकी पाथरी अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक-42/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-07.03.2012 को रात्रि 11:00 बजे, ग्राम तबलुटोला(नव्ही) फरियादिया दशकिनबाई का आंगन चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत फरियादिया को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित की थी ?

विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण :-

6- साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- दशकिनबाई अ.सा.1 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच वर्ष पूर्व की है। उसके पति सुखसिंह से अभियुक्त का विवाद हो गया था। साक्षी को किसी ने पत्थर से नहीं मारा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस

चौकी पाथरी, थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था। साक्षी के पुलिस ने बयान लिये थे। साक्षी के पति की मृत्यु हो गई है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट पर कोरे कागज पर अंगूठा निशान लगाया था। साक्षी को पुलिस ने रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी।

8— मानसिंह अ.सा.2 का कहना है कि उसे घटना के बारे में पता नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। दशकिनबाई अ.सा.1 ने यह बताया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने उसके मृतक पति की ओर से भी राजीनामा कर लिया है। राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अभियोजन पक्ष के किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 336 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी एवं एक पत्थर का टुकड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट